न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 87 / 2025(GCMS 2025/395)
(**RTI No. 21282129615251**7)

श्री लक्ष्य गहलोत पुत्र श्री हरिकिशन उमा शंकर कोयला गली, वार्ड नं. 32, बीकानेर

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी **एवं तहसीलदार (राजस्व)**, रावला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी लक्ष्य गहलोत स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2025 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लक्ष्य गहलोत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. मेरे द्वारा जमा की गई अजमेर रेवेन्यू बोर्ड स्टे की तीन प्रतिलिपि किस–किस के रिकॉर्ड के लिए रखी गई?
2. पटवारी महोदय और 365 हैड रावला, उप तहसीलदार, महोदय को अजमेर रेवेन्यु बोर्ड स्टे की प्रतिलिपि कब उपलब्ध करवाई गई?
3. पटवारी महोदय द्वारा इससे संबंधित रिकॉर्ड कब सामयिक बनाया गया? नवीनतम रिकॉर्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए।
4. 365हैड रावला, उपतहसीलदार महोदय द्वारा इस स्टे से संबंधित दर्ज किए गए नवीनतम रिकॉर्ड की प्रतिलिपि तारीख सहित उपलब्ध करवाई जाए।
5. एक महिना (अजमेर रेवेन्यु बोर्ड स्टे के डॉक्यूमैंट मेरे द्वारा तहसील कार्यालय रावला में तारीख 23.07.2025 को जमा करवा दिये गये) बीत जोन के बाद भी नवीनतम जमाबंदी में अजमेर रेवेन्यु बोर्ड से संबंधित रिकॉर्ड [illegible] का क्या कारण है?
6. ऑनलाईन रिकॉर्ड अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला [illegible] पत्रांक आरटीआई / सू.का.अ. / 2025 / 2679 दिनांक 07.11.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 87 / 2025
(GCMS No. 2025/395)
(RTI No. : 2128212296152517)

क्र.सं.	चाही गई सूचना	सूचना का विवरण
1	मेरे द्वारा जमा की गई अजमेर रेवेन्यु बोर्ड स्टे की तीन प्रतिलिपि किस–किस के रिकॉर्ड के लिए रखी गई है?	सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और ना ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिकों को ऐसे खोजे तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।
2	पटवारी महोदय और 365 हैड रावला, उप तहसीलदार, महोदय को अजमेर रेवेन्यु बोर्ड स्टे की प्रतिलिपि कब उपलब्ध करवाई गई?	
3	पटवारी महोदय द्वारा इससे संबंधित रिकॉर्ड कब सामयिक बनाया गया? नवीनतम रिकॉर्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए।	सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। नवीनतम रिकॉर्ड की प्रतिलिपि संलग्न है।
4	365हैड,रावला, उपतहसीलदार महोदय द्वारा इस स्टे से संबंधित दर्ज किए गए नवीनतम रिकॉर्ड की प्रतिलिपि तारीख सहित उपलब्ध करवाई जाए।	
5	एक महिना (अजमेर रेवेन्यु बोर्ड स्टे के डॉक्यूमैंट मेरे द्वारा तहसील कार्यालय रावला में तारीख 23.07.2025 को जमा करवा दिये गये) बीत जोन के बाद भी नवीनतम जमाबंदी में अजमेर रेवेन्यु बोर्ड से संबंधित रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने का क्या कारण है?	सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और ना ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिकों को ऐसे खोजे तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।
6	ऑनलाईन रिकॉर्ड अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है?	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 87 / 2025
(GCMS No. 2025/395)
(RTI No. : 2128212961525l7)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), रावला द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), रावला द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार जवाब देने की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जबकि जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, [illegible] सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना [illegible] और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन [illegible]तर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो [illegible]ना उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि तहसीलदार(राजस्व), रावला द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिया जाना, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में जवाब / सूचना लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र का जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और तहसीलदार(राजस्व), रावला को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा अपीलार्थी को सूचित करना सुनिश्चितच करें। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), रावला को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर